कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश

क्रमांक/मावि/ विकास/ 1106 /भोपाल: दिनांक 28/3/2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)
मध्यप्रदेश।

विषय : वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिये पुनरीक्षित संकल्प – बिगड़े बाँस वनों/ बिगड़े बाँस रोपण क्षेत्रों में भिर्रा सफाई एवं बाँस कूपों के दोहन से प्राप्त उत्पाद निर्धारित प्रतिशत में समिति को प्रदाय करना।

उपरोक्त विषय के संबंध में राज्य शासन के 7 फरवरी, 2000 के पुनरीक्षित संकल्प को कृपया देखें (जिसकी प्रति संलग्न है)। संकल्प में समिति के अधिकार एवं कर्तव्य के अन्तर्गत बाँस/काष्ट कूपों के अंतिम पातन किये जाने पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति को क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत उत्पाद मूल्य, विदोहन व्यय लेकर प्रदाय करने का प्रावधान है। इस संबंध में यह संशय प्रकट किया गया है कि चूँकि बाँस कूपों में अंतिम पातन न होकर 4 वर्ष के पातन चक्र में विदोहन किया जाता है, तब क्या प्रत्येक पातन चक्र में प्रत्येक कूप से बाँस का मूल्य उपरोक्त अनुपात में समिति को दिया जाना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्य आयोजना के अन्तर्गत निर्धारित बाँस पातन चक्र के अनुसार बाँस कूप का पातन करने पर उससे निर्धारित प्रतिशत में अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर वन उपज का मूल्य समिति को प्रदाय किया जायेगा।

:2:

बिगड़े बॉस वन क्षेत्रों एवं बिगड़े बॉस के रोपण क्षेत्रों में भिरर्रा सफाई से प्राप्त शत प्रतिशत वन उत्पाद, विदोहन व्यय लेते हुये समिति को दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में यह संशय प्रकट किया गया है कि यदि भिरर्रा सफाई का व्यय अधिक तथा प्राप्त वनोत्पाद का मूल्य कम हो तो उस दशा में क्या रणनीति अपनाई जाय। यह भी बिन्दु उभरा है कि बिगड़े बॉस भिरें की कटाई, सफाई क्या एक बार में ही पूरी कर ली जाय अथवा मान्य तकनीक के अनुसार 3 पातन चक्रों में की जाय।

उक्त संबंध में श्रेयस्कर यह होगा कि समिति बिगड़े बॉस भिरों की सफाई श्रमदान से करे तथा समूचे भिरें की एक बार में ही कटाई, छटाई व सफाई कर उसमें मिट्टी चढ़ा दी जाय ताकि सोधो करला निकलने के लिये भिरें में जगह बने व करला गिरने न पाये। इस हेतु माइक्रोप्लान बनाकर क्रियान्वयन किया जाय। श्रमदान के फलस्वरूप शासन को भिरों की सफाई, कटाई, छटाई में व्यय नहीं करना होगा इसलिये उससे प्राप्त शत-प्रतिशत वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जायेगा।

28/3/99

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
मध्यप्रदेश

लेखन-उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल – 462 004

क्रमांक एफ 16/4/91/10–2 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी, 2000

संकल्प

विषयः वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन–सहयोग प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित संकल्प।

---0---

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह निष्पादित किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाए। तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 1990 को सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किये कि वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पादों पर प्रथम अधिकार माना जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त वन प्रबंध की प्रणाली के अंतर्गत वनों के प्रबंध में स्थानीय जनता का सहयोग लिया जा रहा है।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में 10 दिसंबर, 1991 को राज्य सरकार ने वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन–सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया। संकल्प में इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी बताई गई। इसे व्यापक आधार देते हुए सभी वनक्षेत्रों में जन–भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिनांक 4.1.95 को पुनरीक्षित संकल्प जारी किया।

(3) प्रदेश में प्रचलित वन प्रबंधन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के वन क्षेत्रों को तीन हिस्सों (ज़ोन) में विभक्त किया गया है।

प्रथम ज़ोन : राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में सम्मिलित वनक्षेत्र । ये क्षेत्र जैव–विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

द्वितीय ज़ोन: अन्य सघन वनक्षेत्र जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं।

तृतीय ज़ोन : ऐसे वनक्षेत्र जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण/पुनरर्थापन किया जाना आवश्यक है।

(4) उपरोक्त-सभी प्रकार के क्षेत्रों की अपनी-अपनी विशिष्टताएं हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, पूर्व में पारित समसंख्यक संकल्प दिनांक 4.1.95 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित संकल्प पारित करता है:-

4.1. राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु इको विकास समितियां गठित की जाएंगी। जो संयुक्त वन प्रबंध समितियां इन क्षेत्रों में पहले से गठित हैं, उन्हें भी ईको विकास समिति कहा जाएगा।

4.2 अनुच्छेद 4.1 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा।

4.3 अनुच्छेद 4.1 तथा 4.2 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा।

(5) समितियों के गठन की प्रक्रिया

5.1 प्रदेश के ग्रामों में वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा ग्राम की जनता को संयुक्त वन प्रबंध से परिचित कराने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी तथा इसके पश्चात ग्रामवासी यदि स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबंध से जुड़ना चाहें तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वनपाल से अनिम्न स्तर के वनाधिकारी की उपस्थिति में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से इस हेतु औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी। वोट देने का अधिकार रखने

वाली ग्राम सभा की आबादी के 50 प्रतिशत या अधिक ग्रामीण व्यक्ति यदि बैठक में उपस्थित होकर आम सहमति से समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते हैं, तो ऊपर दर्शाए गए तीन ज़ोन में से जिस भी ज़ोन में गांव स्थित है, उस क्षेत्र के लिए निर्धारित समिति का गठन किया जाएगा। यदि ग्राम के साथ सघन एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र हैं तो जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य होगा, उसी अनुरूप वन सुरक्षा समिति अथवा ग्राम वन समिति गठित की जाएगी।

5.2 समिति के गठन के उद्देश्य से 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(ख) के अनुसार ऐसे आवास या आवास समूह अथवा छोटे गांव या उनके समूह जिसमें ऐसे समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्पराओं तथा रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करते हों, को ग्राम माना जाएगा, चाहे वह ग्राम अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की अनुसूची) में स्थित हो अथवा उसके बाहर। प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त एक माह के अंदर संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी)/ संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कंडिका–4 के अनुसार समिति को पंजीकृत किया जाएगा। वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण इस समिति की आम सभा के सदस्य होंगें। ये सदस्य समिति की प्रथम बैठक जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच के सभापतित्व में की जायेगी, में ग्राम के निवासियों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिनका कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। अध्यक्ष / उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा ।

5.3 यदि ग्राम में पहले से कोई वन समिति विद्यमान है तो उसे संयुक्त वन प्रबंध की उक्त समितियों के रूप में मान्यता दी जावेगी ।

5.4 गठित समितियों के अध्यक्षों का वन मंडल स्तर पर संघ बनाया जाएगा ।

(6) कार्यकारिणी

समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :–

(1) संबंधित समिति के निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समिति कार्यकारिणी को मनोनीत करेगी।

(2) वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी के भी पदेन अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष रहेंगे।

(3) कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्रामसभा में यथा संभव उनकी जनसंख्या के अनुपात में चयन किया जावेगा।

(4) कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हों तो, की एक–एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) भूमिहीन परिवार, यदि उपलब्ध है तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरुष एवं एक महिला) होंगे जिनमें ग्राम में कार्यरत स्व सहायता समूह, यदि कोई हों तो, के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) ग्राम में रहने वाले सभी पंच अथवा सरपंच कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे।

(7) यादि ग्राम में राजीव गांधी मिशन की जल ग्रहण विकास समिति कार्यरत है तो इस समिति के विभिन्न हितग्राही समूहों में से एक –एक हित ग्राही कार्यकरिणी का सदस्य होगा ।

(8) कार्यकारिणी के शेष सदस्यों हेतु ग्राम में निर्मित ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों, यदि कोई हो तो, के एक–एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) कार्यकारिणी के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित वन क्षेत्र का प्रभारी वनरक्षक अथवा वनपाल कार्यकारिणी का पदेन सचिव होगा।

(10) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(7) क्षेत्र चयन

7.1 समिति के गठन के उपरान्त कार्यकारिणी की सलाह से संबंधित वन मण्डलाधिकारी(क्षेत्रीय)/ वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जाएगा। इस हेतु वनक्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर के अधिकारी को उपरोक्त संबंधित वन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा। समिति **हेतु वनक्षेत्र का चयन करते समय संबंधित ग्राम** से उस वनक्षेत्र की दूरी तथा ग्रामीणों द्वारा निस्तार हेतु पारंपरिक रूप से उपयोग में लिए जा रहे वनक्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। उक्त क्षेत्र की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता पर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्र का चयन किया जाएगा। क्षेत्र चयन में किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी)/ संचालक राष्ट्रीय उद्यान का निर्णय अंतिम होगा।

7.2 संरक्षित क्षेत्र के अंदर गठित ईको विकास समितियों हेतु वन क्षेत्र चयन नहीं किया जावेगा । संरक्षित क्षेत्र के बाहर के ग्रामों, जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है, के लिये ही कण्डिका 7.1 के आधार पर संरक्षित क्षेत्र से बाहर का वन क्षेत्र प्रबंधन हेतु ईको विकास समिति को दिया जा सकेगा ।

(8) सूक्ष्म प्रबंध योजना (Micro Plan)

8.1 समिति के गठन के पश्चात यथाशीघ्र वन विभाग की सहभागिता से ग्रामीणों द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में ग्राम का क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना में वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित होंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना में संसाधनों की संभावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलित किये जाएंगे। शेष कार्यों को पृथक परिशिष्ट में प्राथमिकता के अनुसार दर्शाया जाएगा। कार्यों के समक्ष क्रियान्वयन की एजेंसी एवं संसाधन के संभावित स्त्रोत भी दर्शाए जाएंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना को समिति संबंधित जिला स्तरीय वन अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना का विचारोपरांत तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण के उपरांत अनुमोदन किया जाएगा।

8.2 वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंध के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

8.3 उक्त सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते हैं, तथा वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध से जुड़े हो, उनके लिए भी राशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग तथा समिति द्वारा शासकीय राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों तथा अन्य स्त्रोतों से की जाएगी। इन कार्यों के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में इसका 25 प्रतिशत तक यथा संभव योगदान आवश्यक होगा। योगदान के समतुल्य राशि कार्य के मूल प्रावधान से समिति के खाते में जमा की जाएगी, जिससे समिति द्वारा ग्रामीण संसाधन विकास के कार्य कराए जा सकेंगे।

8.4 वन विभाग एवं समिति द्वारा अन्य विकास विभागों के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेंगी। ग्राम संसाधन विकास कार्य हेतु जो कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित किये जाएंगे उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य के अन्य विकास विभागों से तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकेंगे।

8.5 आर्थिक विकास के ऐसे कार्य जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त तथा संवहनीय हों, उन्हें सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा।

8.6 सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले ग्राम विकास कार्यों में समन्वय के लिए जिला पंचायत की वन स्थाई समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार समन्वय हेतु बैठक आयोजित करेगी, जिसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। वन संरक्षक द्वारा नामांकित एक जिला स्तरीय वनाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(9) बैठकें

अध्यक्ष की अनुमति से पदेन सचिव द्वारा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। तीन माह में न्यूनतम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। सामान्यतः समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सदस्य आम सहमति से किसी अन्य सदस्य को बैठक हेतु अध्यक्ष चुन सकेंगे। आमसभा की बैठक प्रत्येक छः माह में न्यूनतम एक बार बुलाई जाएगी। बैठक का समय व स्थान अध्यक्ष के परामर्श से तय किया जाएगा। बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव द्वारा इस हेतु संधारित पंजी में रखा जाएगा। कार्यकारिणी की समयावधि समाप्ति वर्ष में आमसभा की अंतिम बैठक में आगामी कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। यह बैठक कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति के एक माह पूर्व बुलाना अनिवार्य होगा।

(10) गणपूर्ति (कोरम) :

कार्यकारिणी हेतु 50 प्रतिशत सदस्य तथा आमसभा हेतु 30 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(11) समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः

11.1 अधिकारः

जिला स्तरीय वनाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :–

1. सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।

2. सभी वन समितियों को समय–समय पर माइक्रोप्लान/ कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़ें बांस वनो के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत–प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए दिया जा सकेगा।

वन सुरक्षा समिति को आवंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस/काष्ट कूप के अंतिम पातन किये जाने पर पातन से प्राप्त वन उत्पाद के 10 प्रतिशत उत्पाद का अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर मूल्य के समतुल्य वनोपज समिति को प्रदाय किया जायेगा। मूल्य की गणना संबधित वन वृत्त में उस वर्ष हेतु स्वीकृत मालिक मकबूजा काष्ठ/बांस की दरों के आधार पर की जायगी ।

4. ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले/रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले उत्पाद के 30 प्रतिशत उत्पाद का मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदान किया जायगा । मूल्य की गणना संबधित वन वृत में उस वर्ष हेतु स्वीकृत मालिक मकबूजा काष्ठ/बांस की दरों के आधार पर की जायगी ।

5 जो इको विकास समितियां संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर स्थित हैं , वहां कटाई पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसी समितियों को भी वनोपज का मूल्य दिया जाये। इस वनोपज का मूल्य संबधित संरक्षित क्षेत्र से लगे क्षेत्र में कार्यरत वन सुरक्षा समितियों को मिलने वाली वनोपज के समान ही होगा । उपरोक्त व्यवस्था इन ग्रामों को प्रतिवर्ष मिलने वाली निस्तार सुविधा के अतिरिक्त होगी । संरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित ग्रामों में कार्यरत ईको विकास समितियों को उसे आंवटित वनक्षेत्र के घनत्व के आधार पर ऊपर दर्शाये अनुसार लाभ प्राप्त होगा ।

प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50% भाग समिति के सदस्यो के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30% भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20% भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा।

6. लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे।

7. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थ दण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, जो कि ग्राम विकास पर ही व्यय की जायेगी।

8. यदि समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के कार्यो में असहयोग किया जाता है, समिति के निर्णयों का पालन नहीं किया जाता है या वन अपराध किया जाता है, तब समिति आमसभा में निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति को निस्तार की पात्रता से वंचित रखते हुये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। वन अपराध हेतु की गई कार्यवाही उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त होगी।

9. समिति अपने सदस्य अथवा विशिष्ट अधिकारों को आमसभा की बैठक में निर्णय लेकर कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

11.2 कर्तव्य

1. समिति द्वारा कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा।

2. समिति के सदस्यों द्वारा वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से बचाव किया जाएगा तथा वन विभाग को इसमें सहयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति अपने सदस्यों की सहायता से वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।

3. वनों एवं वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा वनक्षेत्र में अवैध प्रवेश/अवैधानिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सूचना वन विभाग को दी जाएगी।

4. यदि वन्यप्राणी वनों से भटक कर बाहर आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चि करते हुये निकटस्थ वन अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

5. समिति द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी। योजना में सामुदायिक, हितग्राही मूलक, आवश्यकता पर आधारित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा। वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जायेगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समिति की ओर से कार्यकारिणी के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होंगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना बनायी जायेगी। वार्षिक कार्य आयोजना के कियान्वयन हेतु समिति को एक बार में दस प्रतिशत तक राशि अग्रिम के रुप में प्रदाय की जा सकेगी। स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। यदि कोई समिति कार्यो का सम्पादन संतोषजनक रुप से नहीं करती है अथवा कार्य करने की इच्छुक नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में कार्य विभागीय तौर पर क्रियान्वित किया जायेगा।

6. समिति के सदस्यों को उनके क्षेत्र या अन्य वनक्षेत्र में वन अपराध होने की सूचना होने पर उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना संबंधित बीट गार्ड/गेम गार्ड को दी जाएगी, साथ ही वन अपराधियों को पकड़ने में वन कर्मियों की मदद की जाएगी। पकड़े गये अपराधी तथा वनोपज संबंधित वन अधिकारी को सौंपे जाएंगे।

7. समिति के अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य 'मेंमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग' हस्ताक्षर किया जाएगा।

8. संकल्प के पेरा 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में यथा संभव योगदान सुनिश्चित किया जायेगा।

9. वन अपराध की जांच में समिति के सदस्यों द्वारा वन विभाग के अमले को सहायता दी जाएगी।

10. समिति को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि का लेखा–जोखा रखा जाएगा व व्यय का आडिट वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराया जाएगा।

11. समिति द्वारा सदस्यों की सूची एक पंजी में संधारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी पंजी एवं अभिलेख रखे जायेंगे जो वनाधिकारी द्वारा निर्धारित किये जायें।

12. वन सुरक्षा के संदर्भ में वन समिति सदस्यों को उनके क्षेत्र में वन गश्त के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वन कर्मियों की भांति ही लोक सेवक माना जायगा तथा उन्हें लोक सेवक की भांति शासकीय हित मे सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के लिए वैधानिक संरक्षण उपलब्ध होगा । इसी प्रकार यादि वन अपराध की रोकथाम या संज्ञान के दौरान समिति सदस्य घायल होता है या मारा जाता है तो उसे वनकर्मी के अनुरूप समस्त लाभ प्राप्त होगें ।

13. यादि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में वन अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण आधिसंधानित होने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर अपराधी से वसूल की गई मुआवजा /अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जायगी ।

12. वनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :

जिला स्तरीय वन अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नानुसार रहेंगे। यदि इस संकल्प में अन्यथा उल्लेख न हो तो वे उक्त अधिकारों को वनक्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

12.1 अधिकार

1. समितियों हेतु कंडिका 7.1 के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण।

2. सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन।

3. समिति का लेखा एवं सदस्यों के मध्य वनोपज एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाये गये नियमों का परीक्षण।

4. यदि समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन पैरा 11.2 के अनुसार नहीं किया जाता है तथा वनाधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी के उपरांत भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टेंडिंग को समाप्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को पैरा 11.1 में दर्शाये लाभों की पात्रता समाप्त हो जायेगी।

12.2 कर्तव्य

1. कंडिका 5.1 के अनुसार समिति के गठन हेतु ग्राम स्तर पर बैठक का आयोजन।

2. समिति का पंजीयन।

3. समिति एवं कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण।

4. समिति के सदस्यों को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।

5. कंडिका 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित कार्यो हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना एवं कंडिका 8.4 में दर्शाये कार्यो हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।

6. समिति को उसके कर्तव्यों के निष्पादन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेद समाधान में सहयोग करना।

7. समिति द्वारा किये गये कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

8. समिति के वार्षिक लेखों का परीक्षण करने हेतु एजेंसी का निर्धारण एवं उसके माध्यम से लेखा परीक्षण कराना।

9. कंडिका 11.1 की उप कंडिका 1 से 3 के अनुसार समिति को आवंटित क्षेत्रें से वनोपज एवं अन्य लाभ का प्रदाय।

10. समाज के कमजोर वर्ग, विशेष तौर पर महिलाओं की, समिति के निर्णयों एवं लाभांश में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना।

13. अपील :

1. कंडिका 11.1 की उप कंडिका 8 में पारित आदेश के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति, आदेश की तिथि से एक माह के अंदर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी को अपील कर सकेगा।

2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से एक माह के अंदर कंडिका 5.4 में गठित संघ को अपील की जा सकेगी।

3. उपरोक्त अपीलीय अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

क्रमांक/व्यय/1083 छिन्दवाड़ा दिनांक 3/5/2000

प्रतिलिपि उप वन मंडलाधिकारी छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा उप वन मंडल एवं समस्त वन परिक्षेत्राधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल (सा.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

T(P.C)
26/4/2000

वन मंडलाधिकारी
पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल (क्षे.)
22/4